रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, रविवार, जून 1, 2014/ ज्येष्ठ 11, 1936
No. 292] NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 1, 2014/JYAISTHA 11, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2014

सा.का.नि. 373(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :--

उद्घोषणा

भारत के राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल से भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां धारण करने की उद्घोषणा की थी और यह घोषित किया था कि उस राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन प्रयोक्तव्य होंगी और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 132(अ), तारीख 1 मार्च, 2014 द्वारा आंध्र प्रदेश की विधान सभा को निलंबित करते हुए उक्त उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए कतिपय आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध किए थे ;

और, उक्त उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (3) के कारण तारीख 30 अप्रैल, 2014 तक प्रवर्तित रह सकती थी ;

और, राज्य में विद्यमान राजनीतिक स्थिति के दृष्टिकोण से, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन राष्ट्रपति शासन पुन: अधिरोपित किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी रही जिसमें राज्य की सरकार को नए सदन के सम्यक् रूप से गठन तक संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और तदनुसार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 298(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2014 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा को विघटित करते हुए राष्ट्रपति शासन पुन: अधिरोपित किया गया था ;

और, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) में 2 जून, 2014 से अर्थात् भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ), तारीख 4 मार्च, 2014 द्वारा नियत दिन से प्रभावी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नए राज्य बनाने का उपबंध है ;

और, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन हुए तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 73 के अधीन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा का गठन करने वाली एक अधिसूचना जारी की जा चुकी है ;

और, राज्यपाल को 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य की सरकार के गठन पर तेलंगाना के विधायी दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

और, राज्यपाल को आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य की तेलुगु देशम पार्टी से उस राज्य में सरकार बनाने के लिए और समय चाहने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

और, उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियत दिन अर्थात् 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य में नव निर्वाचित सरकार का गठन करना संभव है, जब कि उस तारीख तक आंध्र प्रदेश राज्य में नई सरकार का गठन नहीं किया जा सकता ;

और, राज्यपाल ने यह सिफारिश की है कि 2 जून, 2014 पूर्वाह्नन को तेलंगाना राज्य में नई सरकार के गठन को समर्थ बनाने के लिए उक्त उद्घोषणा 1 जून, 2014 अपराह्न से वापस ली जाए, और आंध्र प्रदेश राज्य में नई सरकार के गठन के लिए समय अंतराल को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में नई सरकार के गठन तक आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन पुन:अधिरोपित करने पर विचार किया जाए या नए राज्य में शासन के अभाव की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे गए आदेश जारी किए जाएं ;

अत: अब, संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रणब मुखर्जी, भारत का राष्ट्रपति, नियत दिन अर्थात् 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य में नई सरकार के गठन को सुकर बनाने के लिए मेरे द्वारा उक्त अनुच्छेद के अधीन तारीख 28 अप्रैल, 2014 को जारी उद्घोषणा को वहां तक वापस लेता हूं जहां तक यह तेलंगाना के उत्तरवर्ती राज्य से संबंधित है, और आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य के संबंध में उक्त उद्घोषणा निम्नलिखित परिवर्तित रूप में होगी, अर्थात् :--

उक्त उद्घोषणा में,--

(क) निम्नलिखित पैरा (iii) का लोप किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) उक्त राज्य की विधान सभा का विघटन किया जाता है ;";

(ख) निम्नलिखित अनुच्छेदों के निर्देश का लोप किया जाएगा, अर्थात् :--

"अनुच्छेद 178 ;

अनुच्छेद 179 का खंड (ख) ;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग, जितना विधान सभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है ;

अनुच्छेद 195 का उतना भाग, जितना विधान सभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है ;

अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग, जितना विधान सभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है ;"।

नई दिल्ली,

1 जून, 2014

प्रणब मुखर्जी

राष्ट्रपति

[फा.सं. वी/11013/1/2014-सीएसआर.I]

अनिल गोस्वामी, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2014

G.S.R. 373(E).—The following Proclamation issued by the President is published for general information:—

PROCLAMATION

Whereas, the President of India, on the basis of the report received from the Governor of the State of Andhra Pradesh in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution") made a Proclamation assuming to himself all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State; and declared that the powers of the Legislature of that State shall be exercised by or under the authority of Parliament and made certain incidental and consequential provisions for giving effect to the objects of the said Proclamation, by keeping the Legislative Assembly of Andhra Pradesh under suspended animation *vide* notification number G.S.R. 132 (E), dated the 1st March, 2014;

And whereas, the aforesaid Proclamation, by virtue of clause (3) of article 356 of the Constitution, could remain operative until the 30th day of April, 2014;

And whereas, in view of the then prevailing political situation in the State which required re-imposition of the President's Rule under article 356 (1) of the Constitution as the situation continued where under the Government of the State could not be carried on in accordance with the provisions of the Constitution till the new House is duly constituted and accordingly the President's Rule was re-imposed dissolving the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh vide notification number G.S.R. 298(E), dated 28th April, 2014;

And whereas, the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014) provides for formation of new States of Andhra Pradesh and Telangana with effect from the 2nd June, 2014, i.e., the appointed day notified by the Ministry of Home Affairs, Government of India vide notification number S.O. 655(E), dated the 4th March, 2014;

And whereas, the General Elections were held to the Legislative Assembly of the existing State of Andhra Pradesh and a notification constituting the Legislative Assembly has been issued by the Election Commission of India under section 73 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951);

And whereas, the Governor has received a request from the Telangana Rashtra Samithi Legislative Party of Telangana on formation of the Government of the State of Telangana on 2nd June, 2014;

And whereas, the Governor has received a request from the Telugu Desam Party of the successor State of Andhra Pradesh, seeking more time to form the Government in that State;

And whereas, under the above circumstances it is possible to form the newly elected Government in the State of Telangana in accordance with the provisions contained in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 on the appointed day itself, i.e., on 2nd June, 2014; while the new Government in the State of Andhra Pradesh cannot be formed by that date;

And whereas, the Governor has recommended that the said Proclamation may be revoked with effect from the afternoon of 1st June, 2014 enabling formation of new Government in the State of Telangana on the forenoon of 2nd June, 2014; and, keeping in view the time gap for formation of new Government in the State of Andhra Pradesh, the President's Rule in the State of Andhra Pradesh may be considered for re-imposition till the formation of the new Government in the successor State of Andhra Pradesh or issue orders as deemed necessary in the matter to address the vacuum of governance in the new State;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 356 of the Constitution, I, Pranab Mukherjee, President of India, hereby partially revoke the Proclamation issued by me under the said article on 28th April, 2014 in so far as it relates to the successor State of Telangana to facilitate formation of new Government in that State on the appointed day, i.e., 2nd June, 2014; and the said Proclamation in respect of the successor State of Andhra Pradesh shall stand varied as under, namely:—

In the said Proclamation,—

(a) the following para (iii) shall be omitted, namely:—

"(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;";

(b) the reference of following articles shall be omitted, namely:—

"article 178;

clause (b) of article 179;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

so much of article 195 as relates to the salaries and allowances of Members of the Legislative Assembly;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;".

New Delhi,
The 1st June, 2014.

PRANAB MUKHERJEE
President

———

[F. No. V/11013/1/2014-CSR.I]

ANIL GOSWAMI, Home Secretary

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054